न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:– श्री गंगाधर मीणा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
37	26.08.2022	18.11.2022

उनवान

1. रतीराम पुत्र खूबराम जाति अहीर निवासी ग्राम नयागॉव तहसील किशनगढबास जिला अलवर :–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर। :–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् कराये जाने पत्थरगढी।

....

उपस्थितिः–

1. श्री सुधीर गुप्ता एडवोकेट प्रार्थी की और से।
2. जवाब पैरोकार सरकार तहसीलदार किशनगढबास।

–: निर्णयः–

पत्रावली पेश हुई, प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः– वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 733 रकबा 1.29 हे0 बारानी2 राजस्व ग्राम खेडा तहसील किशनगढबास मिन प्रार्थी की निजी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी है। जिसके प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काबिज आराजी है।

जिस आराजी की बाबत् मिन प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत पैमाईश व पत्थरगढी तहसीलदार किशनगढबास को पेश किया। जिसकी पालना में तहसीलदार किशनगढबास के आदेश कमांक 1616 दिनांक 24.06.2022 द्वारा बहमराह हल्का पटवारी नयागॉव, हल्का पटवारी बघेरीकलां, हल्का पटवारी नूरनगर के साथ मौके पर पहुँचे तथा आराजी खसरा संख्या 731, 732, 733 के मध्य स्थित तिमेडे को मुस्तकिल बिन्दु मानकर दक्षिण पूर्वी कौना कायम किया गया, एवं मौके पर आराजी खसरा संख्या 733 के दक्षिण पूर्वी कोने से 62 मीटर पश्चिम की आरे जरीब चलाकर आराजी 733 का दक्षिण पश्चिमी कोना कायम किया गया। एवं आराजी खसरा नम्बर 733 के उत्तर पूर्वी कोने से पश्चिम की ओर 70 मीटर जरीब चलाकर आराजी खसरा नम्बर 733 का उत्तरी पश्चिमी कोना कायम कर निशान्त लगाये गये। मौके पर चारो तरफ का सीमाज्ञान कर मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गयी। तथा मौका पर्चा बनाकर पढकर सुनाया व हस्ताक्षर कराये गये। लेकिन हल्का पटवारी द्वारा पत्थरगढी नहीं की गई। प्रमाणित प्रतिलिपि मौका पर्चा सीमाज्ञान संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण राजस्व अधिकारियों द्वारा कराया गया सीमाज्ञान तहसीलदार किशनगढबास के आदेश कमांक 1616 दिनांक 24.06.2022 के आधार पर ही प्रार्थीगण आपनी आराजी विधिवत पत्थर गढी कराकर मुश्तकिल निशान्त कायम कराना चाहते है।

उक्त आराजी खसरा नम्बर 733 रकबा 1.29 हे0 वाके ग्राम खेडा तहसील किशनगढबास की पैमाईश तहसीलदार किशनगढबास के आदेश कमांक 1616 दिनांक 24.06.2022 द्वारा हो चुकी है। इसलिए उक्त आराजी की पत्थरगढी करायी जानी आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा नम्बर 733 रकबा 1.29 हे0 वाके ग्राम खेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगढबास अथवा कानूनगो तथा हल्का पटवारी को दिया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जवाबदेई आने के बाद वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक पत्थरगढी कराई जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 733 हे0 रकबा 1.29 हे0 वाके ग्राम खेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश तहसीलदार किशनगढबास के आदेश कमांक 1616 दिनांक 24.06.2022 के अनुसार कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :--

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 733 रकबा 1.29 हे0 वाके ग्राम खेडा तहसील किशनगढबास की पत्थरगढी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एवं पडोसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। निर्णय की छायाप्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। खर्चा प्रार्थी स्वयं वहन करेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)